

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का क्रिमिनल मिसेलेनियस सं.80160

पीएस से उत्पन्न. केस नंबर-10 वर्ष-2014 थाना-ई.सी.आई.आर.(सरकारी पदाधिकारी)

जिला-पटना

=====

ददन सिंह उर्फ ददन यादव उर्फ दन पाहलवान उर्फ ददन सिंह यादव, पुत्र - लाल चंद्र यादव, गाँव-
समहर, कुसलपुर, पी. एस.-डुमरांव, जिला-बक्सर

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार अपने सहायक निदेशक, धन शोधन निवारण अधिनियम के
माध्यम से

..... विपक्षी

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री वाई.सी. वर्मा, वरीय अधिवक्ता

श्रीमती प्रियंका सिंह,

विरोधी पक्ष की ओर से: डॉ. के. एन. सिंह (एएसजी)

श्री तुहीन शंकर, अधिवक्ता

=====

आवेदन - अग्रिम जमानत देने के लिए - पीएमएलए अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वाहन जब्त किया गया जिसमें बिना वैध लाइसेंस के हथियार थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि वह एक आदतन अपराधी है और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों जैसे आपराधिक साजिश, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी और जालसाजी आदि में शामिल है।

हेल्ड - विद्वान अदालत इस दृष्टिकोण से सहमत है कि एक बार पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान ले लिया जाता है, तो विशेष अदालत मामले को जब्त कर लेती है और ईडी और पीएमएलए की धारा 19 में नामित अन्य प्राधिकरण अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

शिकायत में दर्शाई गई आरोपी की गिरफ्तारी - एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद, यह सीआरपीसी की धारा 200 से 205 तक नियंत्रित होगी। क्योंकि उक्त प्रावधानों में से कोई भी पीएमएलए के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं है और विशेष अदालत आरोपी को सी आर पी सी की धारा 88 के अनुसार बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। और पर्याप्त कारण पर सीआरपीसी की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट भी दे सकता है। (पैरा 4)

अग्रिम जमानत मंजूर की जाती है (पैरा 8)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रभात कुमार सिंह

मौखिक निर्णय

तारीख: 17-09-2024

यह अग्रिम जमानत आवेदन याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने हेतु विशेष सुनवाई (पी. एम. एल. ए.) वाद सं. 2021 का मामला सं. 08, ईसी. आई. आर. सं. ई. सी. आई. आर./पी. टी. जेड. ओ./10/2014 दिनांक 13.05.2014, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "पी. एम. एल. ए.") की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए स्थापित किया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि एफ. आई. आर. संख्या 43/2006 दिनांक 12.11.2006 और पूरक आरोप पत्र सं.62/07 दिनांक 21.10.2007 के आधार पर एस. पी. बक्सर, बिहार द्वारा अग्रसारित उनके पत्र संख्या 6192 दिनांक 16.11.2013 के आधार पर प्रवर्तन एम. एल. ए. 2002 के प्रावधानों के तहत निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा एक जांच शुरू की गई थी। पूरक आरोप-पत्र में श्री ददन सिंह और श्रीमती. उषा सिंह को धारा 188,384,420,120 बी आई. पी. सी. और धारा 25 (1-बी), 26,35 के तहत आरोपी बनाया गया था। 29.30 शस्त्र अधिनियम। प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है 12.11.2006 को *पंचायत चुनाव* के दौरान DL-9CG-9596 पंजीकरण वाली एक स्कॉर्पियो बरामद की गई जिसपर दो आरक्षी जो ददन सिंह एमएलए के अंगरक्षक थे एवं दो अन्य भीम सिंह तथा संजय सिंह राइफल और इसकी गोली के साथ उपस्थित थे जिसका कोई अनुज्ञप्ति उनके पास उपलब्ध नहीं था। यह भी आरोप लगाया गया है कि श्री ददन सिंह (याचिकाकर्ता) की अध्यक्षता वाले वाहन में "*प्रजातांत्रिक लोक एकता दल*" के लगभग 500 पोस्टर और हैंड बिल भी पाए गए थे। पूरक आरोप पत्र में सं.62/2007, यह उल्लेख किया गया है कि संदिग्ध भीम राम एक अपराधी और एम. सी. सी. का सक्रिय सदस्य है। स्कॉर्पियो से जब्त की गई दोनों राइफलें श्री ददन सिंह की पत्नी श्रीमती उषा देवी के नाम पर थीं और एक शस्त्र लाइसेंस सं.56/2000 नवादा जिले से जारी किया गया था और एक अन्य शस्त्र लाइसेंस सं.276/2003 बक्सर जिले से जारी किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि इन शस्त्र को लाइसेंसों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं पाई गईं और जांच के दौरान यह भी पाया गया कि इस मामले में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी द्वारा अधिग्रहित किया गया था। उसके मालिक को धमकी देकर और धोखा देकर। लाइसेंस धारक ने जानबूझकर हत्या के मामले को छोड़ने वाले और अपराध के उद्देश्य से एम. सी. सी. के सक्रिय सदस्य को हथियार सौंप दिए हैं। हिरासत में लिए गए संदिग्ध लाइसेंस धारकों के परिवार से निकट संबंध रखते थे। इसलिए, याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी श्रीमती. उषा देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 384 और 420 के तहत आरोपी व्यक्तियों के रूप में फंसाया गया था और शस्त्र अधिनियम की धारा 25,26,29 और 30 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत

अनुसूचित अपराध है। तदनुसार, ई. सी. आई. आर. बियरिंग संख्या-56/2000 दिनांक 13.05.2014 को अनुसूचित अपराध के संक्षिप्त तथ्यों को दर्ज करने के बाद आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पी. एम. एल. ए. के तहत जांच शुरू की गई और पी. एम. एल. ए. के तहत जांच में यह पता चला है कि सह-आरोपी ददन सिंह और अन्य लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर अपराध करके चल और अचल संपत्ति अर्जित की है और उसे बेदाग के रूप में पेश किया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वह एक आदतन अपराधी है और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 307, 419, 420, 467, 471 के तहत आपराधिक साजिश, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी और जालसाजी आदि जैसी विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 26, 30 के तहत हथियारों और गोला-बारूद आदि का निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण और उपयोग करता है, इस प्रकार दूषित धन उत्पन्न होता है जिसका उपयोग में किया गया था। अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और राजनीतिक शत्रुता के कारण बिना किसी ठोस सामग्री के इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। याचिकाकर्ता ने किसी भी आपराधिक मामले से कोई दागी धन नहीं कमाया। याचिकाकर्ता के राजनीतिक करियर को धूमिल करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ पूरे आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं। याचिकाकर्ता तीन बार ई. डी. अधिकारियों के समक्ष पेश हुआ और ई. डी. अधिकारियों से पूछे गए सभी प्रश्नों और प्रश्नों का जवाब दिया। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि पांच मामलों में से, जैसा कि शिकायत में विस्तृत है, याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल दो मामले लंबित हैं, लेकिन ई. डी. ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनाने के उद्देश्य से मामलों को निपटाने पर भी विचार किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि किसी भी मामले का याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अधिग्रहित चल और अचल संपत्ति से कोई संबंध नहीं है और इस तरह, संपत्तियों को अपराध की आय से अधिग्रहित नहीं कहा जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि ईडी यह स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि संपत्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया धन, तत्काल शिकायत में विस्तृत, अपराध की आय है और अभियोजन

मामला केवल अनुमान, शस्त्रीय अधिनियम साथ संपत्ति के अपने एवं परिवार जिसे अंचल सदस्य अपने नाम एवं अचल संपत्ति के नाम एवं परिवार के सदस्यों के नाम किया जाए। और पर आधारित है। वास्तव में, कथित संपत्ति का अधिग्रहण हुडको के साथ ऋण और याचिकाकर्ता को सरकार से कानूनी रूप से प्राप्त धन को गिरवी रखकर किया गया है।

4. अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह मामला पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में शामिल है। **तारसेम लाल बनाम निदेशालय** के मामले में अदालत प्रवर्तन, **2024 (3) पी. एल. जे. आर. (एस. सी.) 119** में रिपोर्ट किया गया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार पी. एम. एल. ए. की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के बाद, विशेष अदालत मामले को अपने हाथ में ले लेती है और पी. एम. एल. ए. की धारा 19 में नामित ईडी और अन्य अधिकारी शिकायत में दिखाए गए अभियुक्त की गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि एक बार शिकायत दायर होने के बाद, उच्चतम न्यायालय की धारा 200 से 205 द्वारा शासित होगा. क्योंकि उक्त प्रावधानों में से कोई भी पी. एम. एल. ए. के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं है और विशेष न्यायालय आरोपी को दं.प्र.सं. की धारा 88 के संदर्भ में बॉन्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है. और पर्याप्त कारण पर, दं.प्र.सं. 1 की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट भी दे सकता है। इसलिए, उपरोक्त आधार पर, वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

5. दूसरी ओर, विरोधी पक्ष/ई. डी. की ओर से पेश विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि एक बार जब कोई आरोपी में पेश होता है। विशेष न्यायालय के समक्ष, उसे उसकी अभिरक्षा में माना जाता है और इस प्रकार, अभियुक्त को आ.दं.सं. की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। हालांकि, मामले की योग्यता के आधार पर, वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता (ददन सिंह) और अन्य के खिलाफ दायर कई प्राथमिकियां/आरोप पत्र से पता चलता है कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है और हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध कब्जे और भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न

धाराओं के तहत हथियारों और गोला-बारूद के उपयोग जैसी विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने धन शोधन का अपराध किया है, जैसा कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, और पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है। उसने अपराध से आय अर्जित की है। वह वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है जैसे कि अधिग्रहण, छिपाना, अपराध की आय का हस्तांतरण और साथ ही उसी के अप्रमाणित होने का अनुमान।

6. प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि जाँच के बाद याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 आर/डब्ल्यू 45 के तहत एक अभियोजन शिकायत विद्वान विशेष अदालत (पीएमएलए), पटना के समक्ष 14.12.2021 पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध करने और उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दायर की गई थी, जिसमें संज्ञान लिया गया था। को और 14.12.2021 दिनांकित समन याचिकाकर्ता सहित सभी अभियुक्तों को उपस्थिति के लिए जारी किए गए थे। हालाँकि, समन के निष्पादन के बावजूद, याचिकाकर्ता संबंधित अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ और विद्वान विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना द्वारा 21.10.2022 को एन. बी. डब्ल्यू. जारी किया गया है। तदनुसार, वे प्रस्तुत करते हैं कि पूरे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पटना ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है, दिनांक 15.09.2023 के आदेश के अनुसार और इस अदालत को विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

7. पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन करने के बाद, यह अदालत याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलील से सहमत है और तदनुसार, विवादित आदेश यानी विद्वान द्वारा सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2023, विशेष विचारण संख्या (पीएमएलए) वाद सं. 2021 की 08 (ईसीआईआर संख्या ईसीआईआर/पीटीजेडओ/10/2014 से उत्पन्न) को,

तरसेम लाल (उपरोक्त) और विद्वान विशेष अदालत के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में, रद्द किया जाता है। (पीएमएलए), पटना को याचिकाकर्ता के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 23 और 25 में तरसेम लाल (उपरोक्त) का मामला की गई टिप्पणी के आलोक में उसका निपटान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ का निर्देश दिया जाता है:

- (i) याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के भीतर संबंधित विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और विशेष न्यायालय के समक्ष एक वचन पत्र दायर करेगा कि वह निर्धारित तिथियों पर नियमित रूप से और समय पर विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि उसकी उपस्थिति को दं.प्र.सं. की धारा 205 के तहत शक्तियों के प्रयोग से विशेष रूप से छूट नहीं दी गई है। और
- (ii) याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के भीतर विशेष न्यायालय की संतुष्टि के लिए निर्धारित की धारा 88 के अनुसार बांड प्रस्तुत करेगा।

8. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, यह याचिका है अनुमति दी गई।

(प्रभात कुमार सिंह, न्यायाधीश)

अनय।

खंडन(डिस्कलेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।